

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पिडावा
क्रमांक:- कोर्ट/प्रार्थना पत्र/71/202

दायर दिनांक 16.10.2020

उनवान:- रामूबाई बनाम राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सुनेल
धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :-

प्रार्थीया श्रीमती रामूबाई पुत्री बाल्या पत्नि रणजीत सिंह जाति भील नि० कुण्डलाप्रताप तहसील सुनेल के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुनेल की अनुशसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कुण्डलाप्रताप पटवार मण्डल मंगीसपुर तहसील सुनेल जिला झालावाड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 मे खाता संख्या 110 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थीया का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम कुण्डलाप्रताप पटवार मण्डल मंगीसपुर तहसील सुनेल	110	सतूलबाई पुत्री बाल्या	रामूबाई पुत्री बाल्या



(उम्मेद सिंह)

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

दिनांक ०५/०१/२०२१

क्रमांक:- राजस्व/2021/ २२-२३

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थीया श्रीमती रामूबाई पुत्री बाल्या पत्नि रणजीत सिंह जाति भील नि० कुण्डलाप्रताप को सूचनार्थ।

(उम्मेद सिंह)

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

9c

